

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री जसकरण जांगिड, व्याख्याता-अंग्रेजी, राबाउमावि, छोटीखाटू, नागौर जन्मतिथि 05.07.1964 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 15.04.2018 को निधन हो चुका है। अतः श्री जसकरण जांगिड, व्याख्याता-अंग्रेजी, राबाउमावि, छोटीखाटू, नागौर की सेवाएँ दिनांक 15.04.2018 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री जसकरण जांगिड, के विरुद्ध आज तक :-

4. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
5. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
6. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 09-5-2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/सेवासमाप्ति/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक द्वितीय) नागौर को भेजकर लेख है कि श्री जांगिड का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित कराने कि कार्यवाही करावे ।
6. प्रधानाचार्या, राबाउमावि, छोटीखाटू नागौर
7. संबंधित आश्रित द्वारा संस्था प्रधान, राबाउमावि, छोटीखाटू नागौर
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग/संस्थापन सी-2 (ओएसी) को भेज कर लेख है कि श्री जांगिड डीपीसी 2016-17 (वरिष्ठता क्रमांक 2312/95-96) चयनित है तदनुसार व० सूची में दर्ज करावें ।
9. निम्नी /संश्लित प्रकाशनी



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

निम्नांकित राज्य कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृति किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	BAJRANG LAL MALI	GSSS JAMDOLI/NEWAI/ TONK	Lecturer (I Gr.) GEO.	06-07-1958	31-07-2018
2	CHUTTAN LAL MEENA	SASGSSS LALSOT/LALSOT/DAUSA	PET (I Gr.)	30-07-1958	31-07-2018
3	KAJODI LAL SHARMA	GSSS GUDHA KATLA/BANDIKUI/DAUSA	Lecturer (I Gr.)GEO.	16-05-1958	31-05-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक—

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट: वास्तविक सेवानिवृति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/सेनि/भूगोल.शाशि/2018-19

दिनांक—

9-05-2018

प्रतिलिपि:—प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक—माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक शिक्षा— I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का पचास रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेश प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर